न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 23/2019

जयसिंह बनाम भूपसिंह

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता,
सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता,

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता –प्रार्थीगण
2. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता –अप्रार्थी

दिनांक :– 27.09.2019

–:: आदेश ::–

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 05.07.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स.प.धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता पेश किया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत कर अप्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक 06 एम.एल. के मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 1,10,11,20,21 में से रास्ता की मांग की गई है। उक्त मूल प्रार्थना पत्र का जवाब सुरक्षित रखते हुए प्रारंभिक आपत्ति के रूप मे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी सं.2 की कृषि भूमि वाके चक 6 एम.एल. के मुरब्बा नं.14 के किला नं.1,10,11,20,21 मे स्थित है, जिसका अंकन राजस्व अभिलेख मे है, वह अप्रार्थीया उक्त कृषि भूमि की रिकार्डिड खातेदार है। उक्त भूमि मे से कभी कोई रास्ता चालू नहीं रहा और ना ही आज की तारीख मे कोई रास्ता चालू है, बल्कि मुरब्बा नं.14 के किला नं.1 में हनुमान जी का मंदिर, पानी की डिग्गी व एक कमरा तथा सिंचाई हेतु आड बनी हुई है। प्रार्थी जय सिंह व उसके पिता द्वारा पूर्व में ही रास्ता लेने हेतु दरख्वास्त श्रीमान न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 8 (2) कॉलोनी, कण्डीशन एक्ट के तहत प्रकरण अनवानी– केसरीसिंह वगैरा बनाम अंतराम वगैरा प्रस्तुत की थी जो निस्तारण हेतु श्रीमान कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 12.02.2007 के द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी घड़साना को ट्रान्सफर की गई, जिसका निर्णय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपने निर्णय दिनांक 13.10.2008 के द्वारा प्रार्थी की दरख्वास्त खारिज की गई। इस निर्णय से पूर्व भी तहसीलदार श्रीगंगानगर व पदमपुर को कमिशनर नियुक्त कर रिपोर्ट मंगवाई गई थी, जिनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई, उसमे भी स्पष्ट रूप से अंकन किया हुआ है कि मुरब्बा नं 14 के किला नं.1,10,11,20,21 मे मौका पर कोठा, हनुमान जी का मंदिर, देव स्थान, कच्ची डिग्गी,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

पाईप लाईन व लगभग 60 हरे पेड खड़े हैं। उक्त रिर्पोट के आधार पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा दिए गए निर्णय के विरूद्व केसरीसिंह पिता, प्रार्थी जय सिंह द्वारा अपील राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, वह भी राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 17.02.2009 को खारिज फरमाई जा चुकी है। इस प्रकार से उक्त आदेश अंतिम हो चुका है व इस आदेश के विरूद्व कोई आगामी कार्यवाही प्रार्थी व उसके पिता द्वारा नही की गई है। उक्त अपील निरस्त होने के पश्चात प्रार्थी के पिता केसरीसिंह द्वारा एक दावा घोषणात्मक एवम शाश्वत व्यादेश का अदालत जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर मे प्रस्तुत कर कथन किया कि यह अनुतोष अधियाचित किया कि मुरब्बा नं.14 के किला नं.1, 10, 11, 20, 21 के पश्चिम दिशा पर 2–2 बिस्वा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है व रास्ता चालू है इसमे किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा न करें व अवरोध हटा लेवें, उक्त वाद के साथ दरख्वास्त अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. की भी पेश की गई थी जो अदालत जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात खारिज़ की जा चुकी है व वाद आज भी अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश सं.2 श्रीगंगानगर मे वाद दीवानी सं.44/2014 अनवानी केसरी सिंह बनाम भादरराम के रूप मे पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है, जिसमे तारीख पेशी 14.05.2019. नियत है वा प्रकरण में सम्माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी स्थगन आदेश दिनांक 07.01.2019 को अपारित कर रखा है। इस प्रकार से उक्त प्रकरण सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन है वा रास्ते का विवाद भी सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व मे निर्णित किया जा चुका है परन्तु प्रार्थी ने उक्त वर्णित तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाके चक 6 एम.एल. के मुरब्बा नं.14 के किला नं.1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ता स्वीकृत करने की दरख्वास्त प्रस्तुत की, जब कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर व पूर्व निर्णित आदेश के होते हुए पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अधिकारिता नही है और ना ही ऐसा प्रार्थना पत्र पोषणीय है। जब एक ही तथ्यों के आधार पर उन्हीं पक्षकारान के मध्य विवाद पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णित हो चुका है तो उसी अनुतोष के सम्बन्ध मे पुनः वाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता प्रार्थी को नही है और ना ही ऐसा आवेदन पत्र/वाद पोषणीय है। इस समय कानूनी रूप से ऐसे आवेदन पत्र के विचारण पर न्यायालय अधिकारिता ही नहीं रखता। इस कारण आवेदन पत्र प्रार्थी निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट भिजवाई गई है उसमे भी उक्त तथ्यों का स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है। जिसके अनुसार रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता। इस कारण भी प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अप्रार्थी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मे प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. का जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 24.07.2019 को पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त शीर्षक का प्रकरण राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अन्तर्गत आवेदन पत्र के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है जो संक्षिप्त प्रकृति का है। यह वाद पत्र नही है। इसलिए इसमे आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रभावी नही है आवेदन पत्र बिना आधार प्रस्तुत होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 मे दर्ज कथन स्वीकार है। चक 6 एम एल के मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 मे से रास्ता की मांग की जाना स्वीकार है। इस पैरा मे प्रारम्भिक आपतियां के रूप मे जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 मे चक 6 एम एल के मुरब्बा नं. 14 के किला नं.1. 10. 11. 20. 21 का अप्रार्थीया का रिकार्डड खातेदार होना स्वीकार है। उक्त भमि मे कोई रास्ता चालू न रहना स्वीकार नही है। वादग्रस्त रास्ता सन् 1999 से पूर्व चालू था, और प्रार्थी इसी रास्ता से अपनी मुरब्बा नं. 19 व 20 की भूमि मे आते जाते थे। यह रास्ता भाई बंटवारे वर्ष 1957 से लगातार चल रहा था। जिसका उपयोग उपभोग कृषि कार्य हेतू लगातार प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा था और सन 1999 में अप्रार्थीगण द्वारा भूमि खरीद करने के उपरान्त मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 मे चल रहे रास्ता को बन्द कर दिया गया था, रास्ता को बन्द करने पर प्रार्थी पक्ष मे तत्काल रास्ता खुलवाने के लिए सरपंच व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में आवेदन कर दिया। प्रार्थीयान को अपने मुरब्बा नं. 19 व 20 मे काश्त करने मे अत्याधिक कठिनाई उत्पन्न हो गई अप्रार्थीगण ने पूर्व मे जो रास्ता चालू था, उस रास्ते को बन्द करने की दुर्भावना से ही मन्दिर के नाम से नुमाईशी छोटा सा दिखावटी मन्दिर व अस्थाई कमरा व सिंचाई हेतू आड़ बनाया जाना स्वीकार है परन्तु कृषि भूमि मे मन्दिर रूकावट पैदा करने के उद्देश्य से बनाया है व बिना अनुमति पानी की डिग्गी नही है, और आड़ मंजूरशुद्धा नही है, पाईप लाईन रास्ता की भूमि मे से भूमिगत ही डाली गई है। पाईप लाईन व पानी की डिग्गी बनी होने का आधार झूठा लिया है, परन्तु किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 मे से रास्ता स्वीकार करने मे कोई बाधा नही है। रास्ता इनके पास से स्वीकार किया जा सकता है। प्रार्थी जय सिंह के पिता केसरी सिंह द्वारा पूर्व मे इस भूमि मे से रास्ता स्वीकार करवाने हेतू राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की शर्त संख्या 8 (2) कॉलोनी शर्त के तहत बिना विलम्ब आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, परन्तु उक्त आवेदन पत्र शर्त संख्या 8 (2) पुरानी खातेदारी भूमि पर प्रभावी न होने से अस्वीकार कर दिया था, उस आवेदन पत्र के जांच के समय मे अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कोठा, मन्दिर, कच्ची डिग्गी व पाईप लाईन वगैरा की रिपोर्ट आने की जानकारी प्रार्थीगण को नही है। उक्त आवेदन पत्र राजस्व अपील अधिकारी द्वारा भी इसी आधार पर खारिज कर दिया गया था। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 4 मे राजस्व न्यायालय मे कार्यवाही के उपरान्त प्रार्थी के पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि मे रास्ता का सुखाधिकार प्राप्त होने की घोषणा करवाने व शाश्वत व्यादेश का वाद जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के यहां प्रस्तुत किया था, जो अब अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 श्रीगंगानगर के न्यायालय मे लम्बित चल रहा है, आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 का खारिज होना स्वीकार नही है। प्रार्थी ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नही किया था। सिविल न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.)

मे रास्ते का सुखाधिकार की घोषणा का वाद लम्बित चल रहा है। प्रार्थीगण ने उपरोक्त तमाम तथ्य अपने आवेदन पत्र मे सविस्तार अंकित किये है, कोई तथ्य छुपाया नही गया है। पूर्व मे निर्णित व पारित आदेश से वर्तमान प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से बाधित नही होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे धारा 251–ए नई वर्ष 2012 से जोडी जाने से काश्तकारो को अपनी भूमि मे आने जाने का रास्ता स्वीकृत करवाने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रार्थीगण ने इस नये प्रावधान के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत करवाने हेतू आवेदन पत्र पेश किया है जो काबिल स्वीकृति के है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 5 मे पक्षकारान के मध्य विवाद पूर्व मे निर्णित होने से पुनः वाद प्रस्तुत करने के प्रार्थी के अधिकार को चुनौती दी है। जैसा पूर्व मे अंकित किया जा चुका है। पूर्व मे प्रकरण भिन्न कानून के अन्तर्गत पेश था, अब आवेदन पत्र नये कानन के तहत पेश किया गया है, आवेदन पत्र अप्रार्थी निराधार है यह आवेदन पत्र अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रकरण मे येन केन विलम्ब पैदा कर कानूनी दांव–पेंच लगाने के उद्देश्य से ही किया गया है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 मे वर्णित तहसीलदार की रिपोर्ट आई है तहसीलदार ने दिनांक 20–02–2019 को मौका दोनो पक्षो की उपस्थित मे भली भान्ति मौका रिपोर्ट फर्द तैयार की है इस रिपोर्ट मे तहसीलदार ने इस चाहे गये रास्ते के बारे मे भूमि के पड़ौसियो की उपस्थिति मे पड़ौसियो के कथनानुसार रास्ते की रिपोर्ट तैयार की है परन्तु दिनांक 27–02–2019 को तहसीलदार ने स्वयं का स्थानान्तरण होने के पश्चात् बिना किसी युक्तियुक्त कारण के पुनः मौका देखने की रिपोर्ट प्रार्थी को बिना सूचित किये एक पक्षीय रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट मे अनावश्यक रूप से सही तथ्यो को छुपाते हुए एवं अनुचित तथ्यो का उल्लेख करते हुए गलत विकल्प का अंकन किया है तथा समस्त वैकल्पिक रास्तो का उल्लेख अपनी रिपोर्ट मे नही किया जाकर वैकल्पिक रास्तो के तथ्य को छुपाया है। तहसीलदार ने वैकल्पिक रास्तो की जो रिपोर्ट की है वह माननीय न्यायालय द्वारा नही मांगी गई थी परन्तु तहसीलदार स्वयं ने विपक्षी पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रिपोर्ट तैयार की है अप्रार्थी का रिपोर्ट बाबत आवेदन पत्र दिनांक 08–02–2019 का है। कानूनन अप्रार्थी के आवेदन पत्र पर तहसीलदार हल्का को मौका देखने व रिपोर्ट देने का अधिकार नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अप्रार्थी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त [Citation : 2016(2)DNJ(Raj.)734] की फोटो प्रति पेश की। न्यायिक दृष्टान्त का सहसम्मान अवलोकन कर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि हस्तगत प्रकरण में जिस भूमि में से प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है उस भूमि से सम्बन्धित प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है एवम् प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी स्थगन आदेश पारित कर रखा है। प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र 251 आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया गया है। अतः एक ही प्रकृति एवम् समान अनुतोष, एक ही भूमि का प्रकरण दो न्यायालय में

नहीं सुना जा सकता। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता एवम् सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 27.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर